न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 72/2023 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये घनश्याम सिंह सोलंकी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा	**बनाम**	1. प्रदीप कुमार गदिया पुत्र निर्मल कुमार जैन मैसर्स जैन सुपर मार्केट शोप नं. 03, 22–ए–9, बापू नगर, भीलवाडा 2. मैसर्स आधार होलसेल ट्रेडिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर लिमि. ऑफ. जोगेश्वरी विकोली लिंक रोड जोगेश्वरी (ईस्ट) नोलेज, हाउस, श्याम नगर, मुम्बई पिन कोड नं. 40060
– प्रार्थी		–विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार

2 विपक्षी स्वयं उपस्थित।

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

आदेश

दिनांक 22.04.2024

अधिसूचना नोटिफिकेषन कमांक प 5(1) चिस्वा. /ग्रुप–3/2022 दिनांक 09.03.2023 एवं कमांक प 5(1) चिस्वा./ग्रुप–3/2023 दिनांक 13.03.2024 के अनुसार खांद्य सुरक्षा अधिकारी पद पर नियुक्त किया गया हैं। जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेषालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरूद्व एक प्रकरण इस आषय का प्रस्तुत किया हैं कि विपक्षी प्रदीप कुमार गदिया पुत्र निर्मल कुमार जैन मैसर्स जैन सुपर मार्केट शोप नं. 03, 22–ए–9, बापू नगर, भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को देशी घी (फ्रेश एण्ड प्योर) व अन्य सामान आदि का विकय कर रहा था। प्रदीप कुमार गदिया पुत्र निर्मल कुमार जैन मैसर्स जैन सुपर मार्केट शोप नं. 03, 22–ए–9, बापू नगर, भीलवाडा का निरीक्षण करने पर पाया गया कि विक्रेता फर्म पर देशी घी (फ्रेश एण्ड प्योर) विकय हेतु रखा पाया गया। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए 2006 एक्ट के तहत उल्लेखित प्रावधानों के तहत नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना कारोबारकर्ता को फॉर्म 5 ए में दी व रसीद प्राप्त की। नियमानुसार का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)

निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 04.10.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 31.10.2023 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में विभागीय पैरोकार उपस्थित। विपक्षी स्वंय उपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षी का खाद्य नमूना देशी घी (फ्रेश एण्ड प्योर) सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया है। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में देशी घी (फ्रेश एण्ड प्योर) में Test for Foreign Fat – The Fatty Acid profile of product indicates the presence of foreign fat. पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह नहीं होना चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टेण्डर्ड गुलाब जामुन (वनस्पति से निर्मित) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षी के विरूद्ध जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

विपक्षी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की हैं। छोटा दुकानदार हैं। छोटा मोटा धंधा करता हैं। कोई मिलावट नही करते हैं। पैक माल लेते हैं व पैक माल ही विक्रय करते हैं। निवेदन हैं कि प्रकरण में माफी प्रदान करें। विपक्षी संख्या 02 ने दौराने बहस माफी प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. एल.एस./473/एक्ट/2023/506 दिनांक 25.04.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, देशी घी (फ्रेश एण्ड प्योर) निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया। प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार लिये गये खाद्य नमूने में देशी घी (फ्रेश एण्ड प्योर) में Test for Foreign Fat – The Fatty Acid profile of product indicates the presence of foreign fat. पाया गया, जबकि खाद्य सुरक्षा मानकों के अंतर्गत यह नहीं होना चाहिये था। इसलिए लिये गया खाद्य नमूना सबस्टैण्डर्ड होना पाया गया एवं विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड देशी घी (फ्रेश एण्ड प्योर) का विक्रय कर एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 01 व 02 देशी घी (फ्रेश एण्ड प्योर) का विक्रय करने के लिये दोषी है। इस प्रकार विपक्षी द्वारा सबस्टैण्डर्ड देशी घी (फ्रेश एण्ड प्योर) का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षीगण को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप विपक्षी संख्या 01 पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत 25,000/रूपये शास्ति एवं विपक्षी संख्या 02 पर उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत 75,000/रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षीगण उपरोक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा, चालान प्रति पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि विपक्षी से निर्णयानुसार शास्ति राशि जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावे।

2 प्रदीप कुमार गदिया पुत्र निर्मल कुमार जैन मैसर्स जैन सुपर मार्केट शोप नं. 03, 22–ए–9, बापू नगर, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे ।

3 मैसर्स आधार होलसेल ट्रेडिंग एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर लिमि. ऑफ. जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड जोगेश्वरी (ईस्ट) नोलेज, हाउस, श्याम नगर, मुम्बई पिन कोड नं. 40060 को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करें।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)